न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2022/344

1. धनश्याम पुत्र अर्जुनलाल
2. महेन्द्र पुत्र अर्जुनलाल
3. कमलेश पुत्र धूडाराम
4. सुभाष पुत्र धूडाराम
5. हीरालाल पुत्र धूडाराम
6. तेजपाल पुत्र धूडाराम
7. सुरजी पत्नी धूडाराम
8. फूलाराम पुत्र श्योसहाय
9. शंभूदयाल पुत्र श्योसहाय

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कैरली तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. तहसीलदार, विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर निर्णय दिनांक 10.06.2022 बाबत प्रार्थना पत्र संख्या 08/2021, जिसके द्वारा राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में अवैध एवं क्षेत्राधिकार–विहिन रूप से बिना अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही भूमि को राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है, बाबत भूमि खसरा नंबर 1597, 1600, 1601 ग्राम कैरली, बजरंगपुरा (आतेला) तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

उपस्थित–

1. श्री हेमन्त दीक्षित, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –12.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (कोटपूतली–बहरोड) के निर्णय दिनांक 10.06.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर ने ग्राम कैरली पटवार मण्डल बजरंगपुरा में स्थित खसरा नंबर 1597/0.05, 1600/0.14, 1601/0.05, 1571/0.02, 1586/0.04 हैक्टेयर अपीलान्ट के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2073–2076 है। आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 1597/0.05 मे से 0.05, 1600/0.14 में से 0.14, 1601/0.05 में से 0.05, 1571/0.02 में से 0.02, 1586/0.04 में से 0.04 हैक्टेयर के संबंध में राजस्व विभाग (राजस्व/ग्रुप–6) राजस्थान सरकार के परिपत्र :प3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया कि उक्त खसरा नंबर नक्शा में दर्शित अनुसार मुख्य आबादी कैरली से मशान भूमि (कैरली सीमा) तक आम रास्ते के रूप में उपयोग आ रहा है। मौके पर ग्रेवल सडक बनी हुई अतः उक्त रास्ते को राज्य सरकार राजस्व विभाग (राजस्व ग्रुप–6) राजस्थान सरकार के परिपत्रः प 3(2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10

संभागीय आयुक्त जयपुर

08.2016 के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड आम रास्ता दर्ज करने के आदेश के प्रस्ताव भिजवाने पर उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर द्वारा प्रार्थी, राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को आदेशित किया गया है कि ग्राम कैरली पटवार मण्डल बजरंगपुरा में स्थित खसरा नंबर 1597/0.05 मे से 0.05, 1600/0.14 में से 0.14, 1601/0.05 में से 0.05, 1571/0.02 में से 0.02, 1586/0.04 में से 0.04 हैक्टेयर भूमि नक्शा में दर्शित अनुसार की किस्म गैर मुमकिन रास्ता अंकित किया जाकर नया खसरा नम्बर कायम करने तथा शेष भूमि पूर्वानुसार खातेदारी में यथावत दर्ज करने के आदेश दिनांक 10.06.2022 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (कोटपूतली–बहरोड) के उक्त निर्णय दिनांक 10.06.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट धनश्याम पुत्र अर्जुनलाल वगै द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (कोटपूतली–बहरोड) का निर्णय दिनांक 10.06.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आज्ञा जैर अपील पूर्णतया विधि विधान पत्रावली एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण पूर्णतया क्षेत्राधिकार–विहीन एवं पक्षीय होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी अपीलान्ट विवादित कृ ा भूमि खसरा नंबरान 1597, 1600, 1601 ग्राम कैरली (आतेला) तहसील विराटनगर जिला जयपुर का काबिज रिकार्डेड खातेदार है तथा विद्वान एस.डी.ओ. ने अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एक पक्षीय क्षेत्राधिकार–विहिन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर भी कतई ध्यान नहीं दिया कि नया रास्ता दर्ज करने का धारा 251 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में तहसीलदार को एवं धारा 251(ए) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में एस.डी.ओ. को अधिकार केवल सभी खातेदारों को सुनवाई का मौका देकर उचित शुल्क जमा करने पर अधिकार प्राप्त है, अन्यथा उपखण्ड अधिकारी पारित आज्ञा जैर अपील सरासर कानून के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर जिला जयपुर ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की और भी कतई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्टस विवादित कृषि भूमि खसरा नंबर 1597, 1600, 1601 ग्राम कैरली (आतेला) का काबिज रिकार्डेड खातेदार–काश्तकार है। एवं अपीलान्टस काबिज खातेदार–काश्ताकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा उनके विधिवत रूप से व्यक्तिगत तामील कराये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने जो आज्ञा जैर अपील पारित की है, वो सरासर कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय है। भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में कहीं भी यह प्रावधान पारित नहीं किये हैं कि खातेदार काबिज काश्तकार को बिना कोई नोटिस जारी किये ही तथा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक पक्षीय रूप से कोई कदीमी रूप से चालू व स्थायी या कच्चा रास्ता चालू नहीं होते हुए भी राजस्व रिकार्ड एवं नजरी नक्शे में खातेदार काबिज व्यक्ति की कृ ा भूमि में से गै0मु0 रास्ता दर्ज कर नक्शे में गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कतई ध्यान नहीं दिया कि राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राज0 लैण्ड रिकार्ड रूल्स (भू–राजस्व व भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58 से 60, 66 व 66–ए में कहीं भी यह प्रावधान नहीं दिये है कि किसी भी काबिज रिकार्डेड खातेदार को बिना कोई नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही उसकी

अतिरिक्त आयुक्त
जयपुर

खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में से राजस्व रिकार्ड व नजरी नक्शे में गै0मु. रास्ता दर्ज किर दिया जावे तथा मौके पर रास्ता चालू कर दिया जावे। रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण, 2016 में राज्य सरकार ने यह कहीं भी नहीं लिखा है कि खातेदार काबिज व्यक्ति को बेदखल करके उनके खेतों में से नया रास्ता कायम कर दिया जावे। एक पक्षीय रूप से जैर अपील पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थी को कतई नही थी। प्रार्थीगण–अपीलान्ट्स विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1597, 1600, 1601 ग्राम कैरली (आंतेला) तहसील विराटनगर जिला जयपुर का रिकार्डेड काबिज खातेदार है तथा उपखण्ड अधिकारी विराटनगर ने अपनी आज्ञा जैर अपील दिनांक 10.06.2022 के द्वारा अपीलान्ट्स प्रार्थीगण की कब्जे खातेदारी की भूमि में से बिना अपीलान्ट्स को सुनवाई का मौका व बगैर नोटिस तामील करवाऐ ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड, नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करते हुए मौके पर रास्ता चालू करवाने के आदेश पारित कर दिये, उक्त निर्णय जैर अपील से अपीलांटस के हितों पर कुठाराघात होता है तथा अपीलान्टस प्रार्थीगण उक्त आज्ञा से व्यथित, प्रभावित एवं एग्रीव्ड पक्षकार है, इसलिये उन्हें न्याय हित में उदारता का रूख अपनाते हुये अपील पेश करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है। इसलिये प्रार्थी पूर्ण रूपेण प्रभावी पक्षकार होने के कारण अपील प्रस्तुती की इजाजत प्रदत्त किये जाने के भी पूर्ण कानूनी हक अधिकारी है। इसलिये न्यायाहित में अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत की इजाजत प्रदान की जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर ने ग्राम बयाबास पटवार मण्डल बीलवाडी में स्थित खसरा नम्बर 766/076, 259/0.31, 255/0.20, 253/0.05, 243/0.41, 242/0.41, 242/0.15, 765/0.55 हैक्टेयर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2076–2079 है। आराजी मुतनाजा 766/0.76 में से 0.03, 259/0.31 में से 0.03, 255/0.20 में से 0.01, 253/0.05 में से 0.01, 243/0.41 में से 0.04, 242/0.15 में से 0.02, 765/0.55 में से 0.03 हैक्टेयर के संबंध में राजस्व विभाग (राजस्व/ग्रुप–6) राजस्थान सरकार के परिपत्रः प.3(2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया कि उक्त खसरा नम्बर नक्शा में दर्शित अनुसार बीचली गुनी वाले रोड से बीलवाडी सीमा तक आम रास्ते के रूप में उपयोग आ रहा है अतः उक्त रास्ते को राज्य सरकार राजस्व विभाग(राजस्व ग्रुप–6) राजस्थान सरकार के परिपत्रः प 3(2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड आम रास्ता दर्ज करने के आदेश के प्रस्ताव भिजवाने पर उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर द्वारा प्रार्थी, राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को आदेशित किया गया है कि ग्राम बयावास पटवार मण्डल बीलवाडी में स्थित खसरा नंबर 766/0.76 में से 0.03, 259/0.31 में से 0.03, 255/0.20 में से 0.01, 253/0.05 में से 0.01, 243/0.41 में से 0.04, 242/0.15 में से 0.02, 765/0.55 में से 0.03 हैक्टेयर भूमि नक्शा में दर्शित अनुसार की किस्म गैर मुमकिन रास्ता अंकित किया जाकर नया खसरा नम्बर कायम करने तथा शेष भूमि पूर्वानुसार खातेदारी में यथावत दर्ज करने के आदेश दिनांक 27.05.2022 पारित किये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2022 उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में

माननीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थीगण पूर्ण रूपेण प्रभावी पक्षकार होने के कारण अपील प्रस्तुती की इजाजत प्रदत्त किये जाने के भी पूर्ण कानूनी हक अधिकारी है। इस कारण अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार विराटनगर, पटवारी पटवार मण्डल बजरंगपुरा तहसील विराटनगर, भू.अ.निरीक्षक, की मौका फर्द रिपोर्ट अनुसार पटवार मण्डल बजरंगपुरा के ग्राम कैरली तहसील विराटनगर में आराजी खसरा नम्बरान 1597, 1600, 1601, 1571, 1586 का मौका सरपंच ग्राम पंचायत कैरली की उपस्थिति में देखा गया गया मौके पर उक्त खसरा नम्बरान मुरल आबादी कैरली से श्मशान भूमि (कैरली सीमा) तक आने जाने का आम रास्ता सभी आम जन एवं कृषकों के द्वारा आवागमन हेतु उपयोग में आ रहा है। मौके पर उक्त खसरा नम्बरान में कच्चा रास्ता बना हुआ है। जो सिवायचक/निजी खातेदारी भूमि में से चालू है। उक्त सार्वजनिक आम रास्ता के रूप में उपयोग आ रहा है, मौके पर चालू रास्ता की जांच की गई व रिकार्ड से मिलान किया गया। राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को आदेशित किया गया है कि ग्राम बयावास पटवार मण्डल बीलवाडी में स्थित खसरा नंबर 766/0.76 में से 0.03, 259/0.31 में से 0.03, 255/0.20 में से 0.01, 253/0.05 में से 0.01, 243/0.41 में से 0.04, 242/0.15 में से 0.02, 765/0.55 में से 0.03 हैक्टेयर भूमि नक्शा में दर्शित अनुसार की किस्म गैर मुमकिन रास्ता अंकित किया जाकर नया खसरा नम्बर कायम करने तथा शेष भूमि पूर्वानुसार खातेदारी में यथावत दर्ज करने के आदेश दिनांक 10.06.2022 पारित किया गया है इससे खातेदारी अधिकार प्रभावित नहीं होते है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (कोटपूतली–बहरोड) उचित एवं विधिसम्यक है, इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (कोटपूतली–बहरोड) का निर्णय दिनांक 10.06.2022 यथावत रखा जाता है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर